



## न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

### (1) अपील/डिक्री/टी.ए./3282/2001/श्रीगंगानगर

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| 1. नानकचंद    | } | पिसरान लालचंद जाति खत्री, निवासी चक 2 एल.<br>एल. तह0 व जिला श्रीगंगानगर जरिये मु0 आम<br>आम मोहनलाल अग्रवाल पुत्र बाबूराम अग्रवाल<br>निवासी नई आबादी, गली नं01, अबोहर (पंजाब) |
| 2. दिवानचंद   |   |  |
| 3. अमरजीत कौर |   |  |
| 4. ज्ञान कौर  |   |  |

-- अपीलांत

#### बनाम

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| 1. कालासिंह    | } | पुत्रगण जगीरसिंह अकवाम जट सिख, निवासीगण<br>चक 21, जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। |
| 2. गुरतेजसिंह  |   |  |
| 3. मन्दरसिंह   |   |  |
| 4. सुरजीत सिंह |   |  |
| 5. गुरचरणसिंह  | } | पुत्रगण सूरतसिंह जाति जट सिख, निवासीगण चक<br>20 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।   |
| 6. जीवनसिंह    |   |  |

-- रेस्पोडेन्टस

### (2) अपील/डिक्री/टी.ए./3286/2001/श्रीगंगानगर

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| 1. नानकचंद    | } | पिसरान लालचंद जाति खत्री, निवासी चक 2 एल.<br>एल. तह0 व जिला श्रीगंगानगर जरिये मु0 आम<br>आम मोहनलाल अग्रवाल पुत्र बाबूराम अग्रवाल<br>निवासी नई आबादी, गली नं01, अबोहर (पंजाब) |
| 2. दिवानचंद   |   |  |
| 3. अमरजीत कौर |   |  |
| 4. ज्ञान कौर  |   |  |

-- अपीलांत

#### बनाम

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| 1. कालासिंह    | } | पुत्रगण जगीरसिंह अकवाम जट सिख, निवासीगण<br>चक 21, जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। |
| 2. गुरतेजसिंह  |   |  |
| 3. मन्दरसिंह   |   |  |
| 4. सुरजीत सिंह |   |  |
| 5. गुरचरणसिंह  | } | पुत्रगण सूरतसिंह जाति जट सिख, निवासीगण चक<br>20 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।   |
| 6. जीवनसिंह    |   |  |

-- रेस्पोडेन्टस

#### खण्ड पीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष  
श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य

#### उपस्थित :-

- (1) श्री प्रशान्त सोनी, अधिवक्ता अपीलांत।
- (2) श्री मनीष पांड्या, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस।

- (1) अपील/डिक्री/टी.ए./3282/2001/श्रीगंगानगर  
नानकचंद बनाम कालासिंह
- (2) अपील/डिक्री/टी.ए./3286/2001/श्रीगंगानगर  
नानकचंद बनाम कालासिंह

### निर्णय

दिनांक : 26 फरवरी, 2018

यह दोनों अपीलें धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06-2-2001 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- हस्तगत दोनों अपीलों में विवादित आराजी समान है, पक्षकार, तथ्य तथा कानूनी बिन्दु समान होने से उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाना उचित समझा जाता है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में संलग्न की जावे।

3- अपील के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण-अपीलांट्स ने उपजिलाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष एक वाद चक 1 एल.एल. के मु0नं0 11 के किला नं0 1 से 25 रकबा कुल 25 बीघा के संबंध में अधिनियम की धारा 88 एवं 183 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता लालचंद को पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित की जाकर वादीगण के पिता की खातेदारी की है, जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का अनाधिकृत कब्जा है, अतः प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर उक्त प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के न्यायालय में स्थानान्तरित हुआ, जिसमें प्रतिवादीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए बहस वादीगण सुनकर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20-6-1997 से दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 44/1997 प्रस्तुत की गई। इसी दौरान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20-6-1997 पारित किये जाने के पश्चात रेस्प0 संख्या 5 व

- (1) अपील/डिक्री/टी.ए./3282/2001/श्रीगंगानगर  
नानकचंद बनाम कालासिंह
- (2) अपील/डिक्री/टी.ए./3286/2001/श्रीगंगानगर  
नानकचंद बनाम कालासिंह

6 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व आदेश 1 नियम 10, जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22-9-1997 से स्वीकार करते हुए अपने पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20-6-1997 को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध भी वादीगण-अपीलांट्स द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 170/1997 प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 44/1997 एवं 170/1997 का निर्णय एक ही निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06-2-2001 के द्वारा करते हुए दोनों अपीलों को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

5- विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने चक 1 एल.एल. के मु0नं0 11 के किला नं0 1 से 25 की 25 बीघा के संबंध में दावा प्रस्तुत किया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चक 1 एल.एल. की मु0नं0 11 के किला नं0 1 से 3, 12, 13 के 14 बिस्वा, किला नं0 19,20,21 के 18 बिस्वा, 22 के 18 बिस्वा कुल 12.10 बीघ तक ही दावा स्वीकृत किया गया है, जबकि वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित किया है कि चक 1 एल.एल. के मु0 नं0 11 के किला नं0 1 से 25 की 25 बीघा भूमि वादीगण के पिता लालचंद की खातेदारी की भूमि है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार हुए है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2042 में लाभसिंह के पक्ष में तस्दीकशुदा नामान्तरकरण संख्या 148 का अंकन नहीं है, इसके विपरीत भी अधीनस्थ अपीलीय

- (1) अपील/डिक्री/टी.ए./3282/2001/श्रीगंगानगर  
नानकचंद बनाम कालासिंह
- (2) अपील/डिक्री/टी.ए./3286/2001/श्रीगंगानगर  
नानकचंद बनाम कालासिंह

न्यायालय द्वारा अपील को विधि द्वारा प्रावधित सिद्धांतों के विपरीत खारिज की है, जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जमाबंदी के आधार पर किसी पक्षकार को कोई स्वत्व व अधिकार हासिल नहीं होते हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी ने डिक्री नहीं बनाई है अपने निर्णय के अंतिम पैरा को ही डिक्री के रूप में माना है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि विपरीत पारित निर्णयों को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट्स-वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88, 183 पूर्ण रूप से डिक्री किया जावे।

6- बहस के प्रत्युत्तर में रेस्पोंडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि चक 1 एल.एल. के मुं०न० 11 के किला नं० 1 से 25 की भूमि लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल के नाम दर्ज अंकित थी, जिसमें से 12.10 बीघा भूमि लाभसिंह पुत्र खजानसिंह को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27-3-1964 को विक्रय कर कब्जा दे दिया था और लाभसिंह ने इसमें से 6.5 बीघा भूमि रेस्पों संख्या 5 गुरचरण सिंह एवं 6.5 बीघा भूमि रेस्पों संख्या 6 जीवनसिंह को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 12-1-1990 को विक्रय कर दी, जिस पर कब्जा रेस्पों का ही चला आ रहा है। इस प्रकार से अपीलांट्स की 25 बीघा भूमि में से 12.10 बीघा भूमि विक्रय हो जाने पर अपीलांट्स के खाते में शेष भूमि 12.10 ही रही, और विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण की शेष रही भूमि की हद तक डिक्री पारित की गई है, जो विधिनुरूप है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष पारित किये गये हैं, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर से कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

7- हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

8- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी लालचंद पुत्र कन्हैयालाल की खातेदारी में दर्ज थी, जिसमें से 12.10 बीघा भूमि लालचंद द्वारा लाभसिंह पुत्र खजानसिंह को जरिये

- (1) अपील/डिक्री/टी.ए./3282/2001/श्रीगंगानगर  
नानकचंद बनाम कालासिंह
- (2) अपील/डिक्री/टी.ए./3286/2001/श्रीगंगानगर  
नानकचंद बनाम कालासिंह

पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27-3-1964 से हस्तान्तरित कर दी, तत्पश्चात लाभ सिंह द्वारा यह भूमि पुनः दो पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12-1-1990 से रेस्प0 संख्या 5 व 6 को बैचान की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबंदी संख्या 2042 के खाता संख्या 57 में लालचंद के नाम 12.10 बीघा भूमि मुर्ब्बा नं0 11 की अंकित है, जिसमें हल्का पटवारी द्वारा यह टिप्पणी अंकित की गई है कि नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 20-5-1989 को लाभसिंह को बतौर खातेदार अंकित किया जावे। इससे यह स्पष्ट होता है कि लालचंद के पास जो 25 बीघा भूमि थी, उसमें से 12.10 बीघा का विक्रय लाभसिंह को कर दिया गया, जिसका नामान्तरकरण लाभसिंह के पक्ष में हो चुका था। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2042 के खाता संख्या 57 में लालचंद के नाम 12.10 बीघा भूमि अंकित है, लेकिन नामान्तरकरण संख्या 148 से लाभसिंह के नाम जो भूमि अंकित की गई है, उसका अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलाट्स-वादीगण को कुल 12.10 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया है, जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का विस्तृत विवेचन करते हुए समवर्ती निष्कर्ष निकाल कर निर्णय पारित किये हैं, जिनमें किसी भी प्रकार से तथ्यात्मक एवं विधिक भूल नहीं होने के कारण हस्तगत दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं।

9- उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में हस्तगत दोनों अपीलें सारहीन होने से निरस्त की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( शंकर लाल शर्मा )  
सदस्य

( वी.श्रीनिवास )  
अध्यक्ष